

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक- 11.06.2014 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र /निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	विजेन्द्र कुमार व्या. इतिहास	रोहिसा-नागौर	10.09.18 से 19.09.18 01.10.18 से 14.10.18 27.11.18 से 28.11.18 12.12.18 से 23.12.18 17.01.19 से 25.01.19 05.02.19 से 08.02.19 19.02.19 से 01.03.19 07.03.19 से 26.03.19	82 दिवस
2	मधु चौधरी व्या. इतिहास	खुडासा-बाड़मेर	22.08.17 से 28.08.17	07 दिवस
3	विक्रम लाल पुछल व्या. इतिहास	मेडा उपरला-जालोर	17.09.18 20.09.18 22.09.18 13.11.18	04 दिवस
4	हरीश कुमार लेखाला व्या. इतिहास	राजीकावास-जालोर	02.04.18 से 12.04.18 23.04.18 से 28.04.18 04.07.18 से 16.07.18 19.07.18 से 28.07.18 01.10.18 से 06.10.18 10.12.18 से 22.12.18 09.01.19 से 22.01.19 24.01.19 से 30.01.19 18.02.19 से 27.02.19	90 दिवस
5	अनिता भावरिया व्या. इतिहास	भैया कलां-नागौर	08.08.17 से 09.09.17	02 दिवस

नोट:- क्रम संख्या 01 व 04 पर अंकित व्या. विजेन्द्र कुमार व हरीश कुमार लेखाला के 30 दिवस से अधिक अवैतनिक अवकाश का प्रभाव स्थायीकरण पर पड़ेगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

दिनांक 23.9.19

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर